देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/72 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 14 दिसम्बर 2020

जे.डी.ए. ने व्यापक जन हित की आड़ में पेट्रोल पम्प आवंटन/स्थापन/निर्माण के लिए आवासीय भूखंडों के पुनर्गठन/व्यावसायिक भू-रूपांतरण करवाने का नया हथकंडा किया इजाद!!!

भाग-5

गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शहरों के मास्टर प्लान की सख्ती से पालना के दिए है आदेश!!!

आवासीय भूखंड संख्या 2/1-A,गांधी पथ पर वर्तमान में संचालित शराब की दूकान,भूखंड मालिक श्री जयकृत सिंह द्वारा इस प्लाट को नियमविरुद्ध तरीके से पेट्रोल पम्प के लिए आवंटित बता कर ,जे.डी.ए. से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करवाने की साजिश रची जा रही है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान पत्रिका

घटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं | कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

भूखंडों को पुनर्गठित करने और व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक,परन्तु व्यापक जन हित का हवाला देकर किया जा रहा यह काम

डी.बी. सिविल रिट याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले में पारित राज उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14 के अनुसार यदि किसी आवासीय कोलोनी के किसी भाग में अनुमोदित मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार मिश्रित/व्यावसायिक/अन्य उपयोग हेतु अनुमति नहीं दी गयी है तो वहां पर सिवाय आवासीय गतिविधियों के किसी भी प्रकार की गतिविधियों(मिश्रित/व्यावसायिक/अन्य) को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा और मास्टर/जोनल प्लान के विपरीत किये गए निर्माणों के विरुद्ध सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना जे.डी.ए. अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी| परन्तु इस मामले में प्रवर्तन शाखा के अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्णतया विफल रहे है|अब एक कदम आगे जाकर,भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए,व्यापक जन हित का सहारा लेकर पेट्रोल पम्प की आड़ में इसे पूर्ण व्यवसायिक करने की साजिश रची जा रही है|

जे.डी.ए. के ज़ोन-7 में स्थित भूखंड संख्या 2/1 और 2/1-A,चित्रकूट योजना का है मामला|भूखंड पर बिना अनुमति चल रही शराब की दूकान

वर्ष 2019 की शुरुआत में जे.डी.ए. के ज़ोन-7 में स्थित आवासीय प्लाट 2/1-A,गाँधी पथ चित्रकूट योजना पर भूखंड मालिक जयकृत सिंह द्वारा अवैध दूकान का निर्माण कर, शराब माफिया को किराये पर दे देने का मामला सामने आया था|हमारे द्वारा यह मामला जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में लाने पर ज़ोन-7 के ATP और JEN द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी| जिसमे बताया गया कि मौके पर शराब की दूकान संचालित है और व्यवसायिक उपयोग हो रहा है,उक्त भूखंड में व्यवसायिक की स्वीकृति JDA द्वारा जारी नहीं की गयी है|

भूखंड मालिक जयकृत सिंह स्वयं आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत

भूखंड मालिक श्री जयकृत सिंह जो कि स्वयं सरकारी नौकरी में है और आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के तौर पर जयपुर में पदस्थापित है,द्वारा जानबूझ आकर,अपने पद का दुरूपयोग करते हुए यह अवैध निर्माण किया गया|श्री जयकृत सिंह द्वारा इस भूखंड पर बनी दूकान को शराब व्यवसायी को 70000 रूपये प्रति माह किराए पर दे रखी है|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2020/डी-4719 दिनांक 09.12.2020

प्रस्तावित उपरान्तरण

जविप्रा क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की योजना चित्रकूट के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 2/1 एवं 2/1ए क्षेत्रफल 545.50 वर्गमीटर का श्री जयकृत सिंह राठौड़ पुत्र श्री सुमेर सिंह द्वारा भू-उपयोग उपरान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पैट्रोल पम्प) को व्यापक/वृहद जनहित प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूखण्ड की उत्तर की तरफ सड़क 24 मीटर चौड़ी, दक्षिण की तरफ अन्य सम्पत्ति, पूर्व की तरफ भूखण्ड संख्या 2/2 तथा पश्चिम की तरफ सड़क 18 मीटर चौड़ी स्थित है। मास्टर विकास योजना 2025 उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मिश्रित दर्शित है। समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की समयावधि के भीतर उपरोक्त उपरान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। यह विज्ञप्ति दिनांक 09.12.2020 को जारी की गयी। (अरूण कुमार शर्मा)
उपायुक्त जोन-7

पेट्रोल पम्प आवंटन के नाम पर दोनों भूखंडों को पुनर्गठित करने और व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु जे.डी.ए. में लगायी फाईल

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार भूखंड मालिक श्री जयकृत सिंह द्वारा आवासीय प्लाट 2/1 और 2/1-A,गाँधी पथ चित्रकूट योजना को पेट्रोल पम्प हेतु पुनर्गठित करने और व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

विज्ञप्ति में उपायुक्त ने बताया सम्बंधित सड़क पर मिश्रित भू-उपयोग अनुज्ञेय, परन्तु पेट्रोल पम्प के लिए पूर्ण व्यवसायिक जमीन की आवश्यकता

प्रकाशित विज्ञप्ति में उपायुक्त ज़ोन श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार उक्त भूखंड वर्तमान में आवासीय है और जिस 24 मीटर रोड पर यह स्थित है, वह मिश्रित भू-उपयोग हेतु मास्टर प्लान में दर्शित है|परन्तु ज्ञात हो कि जे.डी.ए. नियमों के अनुसार मिश्रित भू-उपयोग में नीचे के तल पर व्यवसायिक और उपर के तलों पर आवासीय गतिविधियाँ अनुज्ञेय होती है परन्तु पेट्रोल पम्प की अनुमति नहीं दी जा सकती|

क्या पेट्रोल पम्प जन हित में लगाया जाता है?

आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल पम्प एक पूर्ण व्यवसायिक गतिविधि है|इसका व्यापक जन हित से कोई सरोकार नहीं है|यदि ऐसा होता कि इलाके में दूर दूर तक पेट्रोल पम्प नहीं है तब तो बात समझ में आती,लेकिन जहाँ पर यह पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मांगी जा रही है उसके आप-पास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कई पेट्रोल पम्प संचालित है|ऐसे में यह कहना कि व्यापक जन हित में इस जमीन को व्यवसायिक किया जाना समझ से परे है|

पेट्रोल पम्प की आड़ में उक्त भूखंडों को व्यवसायिक कराने की साजिश

चूँकि डी.बी. सिविल रिट याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले में पारित राज उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवासीय भूखंडों के पुनर्गठन और भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगी हुई है,आदेश के अनुसार केवल और केवल व्यापक जन हित को देखते हुए ही आवासीय भूखंडों के पुनर्गठन और भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है|देखने में आया है कि कई भूमाफिया पेट्रोल पम्प लगाने के नाम पर इस ढील का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने आवासीय भूखंडों व्यवसायिक करवा तो लेते है लेकिन पेट्रोल पम्प नहीं लगा कर,उसकी आड़ में,काम्प्लेक्स खड़े कर रहे है|ऐसे मामलों का शीघ्र भंडाफोड़ किया जायेगा|यह मामला भी इसी साजिश का हिस्सा है|

मामला लोकायुक्त में विचाराधीन

हमारे द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले का हवाला देकर कई बार जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों को इस अवैध दूकान को सील/ध्वस्त करने का अनुरोध किया गया परन्तु दो साल निकलने के उपरांत आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी|थक हार कर,इस मामले की शिकायत हमारे द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय से की गयी जिस पर उनके द्वारा परिवाद दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है|वर्तमान में यह प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद संख्या 17(95)/LAS/2019 के रूप में विचाराधीन है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कैसे सरकारी सेवा में रहते हुए(आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत) श्री जयकृत सिंह पेट्रोल पम्प का संचालन कर सकते है?
2. क्या वाकई श्री जयकृत सिंह को कोई पेट्रोल पम्प स्वीकृत हुआ अथवा नही?
3. क्या पेट्रोल कम्पनी ने इसी जमीन पर पेट्रोल पम्प लगाने की कसम खायी है?
4. इस भूखंड को पेट्रोल पम्प के नाम पर व्यवसायिक करने के पीछे कहीं व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण तो नहीं?
5. क्या श्री जयकृत सिंह की यह योजना इस जमीन को पेट्रोल पम्प के नाम पर, पुनः किराये पर देने की तो नहीं है?
6. जे.डी.ए. को किये गए आवेदन में श्री जयकृत सिंह द्वारा इस प्लाट पर चल रही शराब की दुकान के बारे में क्या बताया गया है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

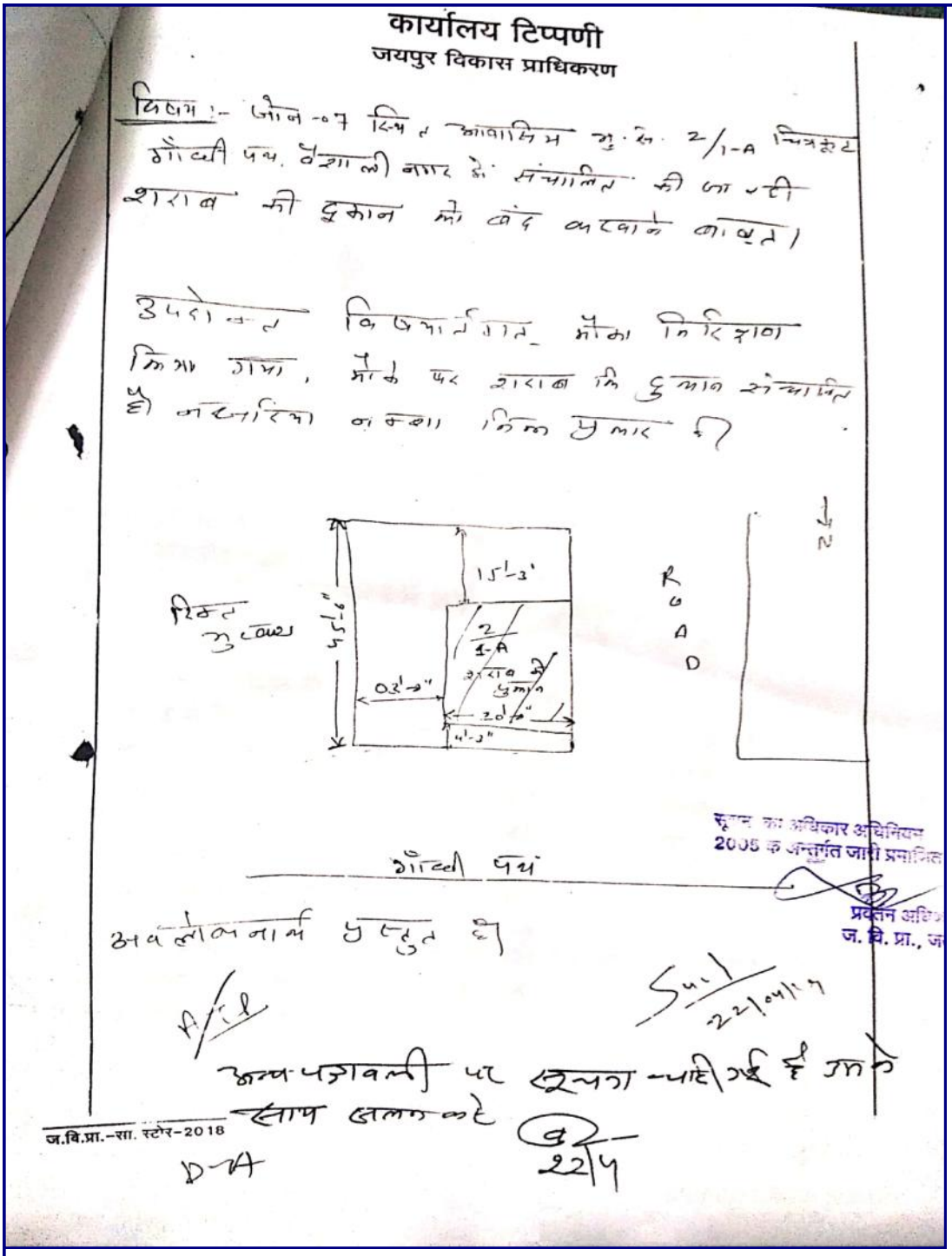

7. क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इन भूखंडों को पुनर्गठित कर,व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु परिवर्तित करेंगे?

8. इस भूखंड पर बिना अनुमति चल रही अवैध शराब की दूकान कब हटाई जायेगी?

9. हमारी लाख शिकायतों के बावजूद यदि भूखंड मालिक जयकृत सिंह जे.डी.ए. अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर,इस जमीन पर पेट्रोल पम्प के नाम पर व्यवसायिक भू-उपयोग रूपांतरण करवाने में कामयाब हो जाता है तो क्या इन लोगो का यह कृत्य आस-पास की रियायशी कॉलोनियों में रहने वाले हजारों रहवासियों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं होगा?

10. आखिर इस मामले में जे.डी.ए. के ईमानदार, कर्तव्यपरायण और शुद्ध मंशा वाले मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठे है?

11. इस मामले में लोकायुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण होने के बावजूद क्या जे.डी.ए. के अधिकारी इन भूखंडों को पुनर्गठित करने,व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तित करने का जोखिम उठाएंगे?

12. विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में हमारी आपत्ति पर क्या ज़ोन उपायुक्त नजर घुमाएंगे या फिर उसे रद्दी की टोकरी में फैंक देंगे?

बहरहाल हमारा काम प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति चेताना है अगर नहीं संभलेंगे तो दोषी अधिकारी /व्यक्ति अपने गलत कारनामो के लिए जेल जाने का काम करेंगे|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com